कार्यालय कलेक्टर जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

क्रमांक / ESTB-1027/3874/2026-COLL JSP ESTT SEC जशपुर दिनांक / 06 / 2026

कार्यालयीन पत्र क्रमांक / ESTB-1027/3874/2026-COLL JSP ESTT SEC/2846 जशपुर दिनांक 26.05.2026 के द्वारा कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जशपुर (छ.ग.) के स्पष्टीकरण क्रमांक 5123 जशपुर दिनांक 24.04.2026 के तहत श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. जिला चिकित्सालय जशपुर को ब्लड बैग नम्बर 26ए4/236934 (एक्सपायरी दिनांक 27.03.2026) बैग मिसमैच, ब्लड बैग के एक्सपायर होने पर भी ब्लड को डिस्कार्ड नहीं करने, दिनांक 23.04.2026 को उक्त ब्लड बैग के गायब होने की कोई औपचारिक सूचना अपने उच्चाधिकारियों को नहीं देने, ब्लड बैग डिस्कार्ड किए जाने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने एवं दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने तथा अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारितापूर्वक कार्य किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया एवं स्पष्टीकरण क्रमांक 5147 जशपुर दिनांक 30.04.2026 के तहत श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. जिला चिकित्सालय जशपुर के ब्लड सेंटर प्रभारी एम.एल.टी. होने के कारण पूर्ण जिम्मेदारी होने पर ब्लड सेंटर में कार्यालयीन कार्यप्रणाली नियमानुसार निष्पादित नहीं करने तथा अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दूसरों पर दोषारोपण लगाने की कोशिश करने एवं ब्लड डोनर के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया था, वह 05 प्रमुख गंभीर बीमारियों में से एक का वाहक था। ऐसी स्थिति में प्रथमतः उस डोनर से रक्त संग्रह नहीं किया जाना चाहिए इन सभी जानकारियों के बावजूद नियमानुसार कार्यवाही नहीं किया गया जो पूर्णरूपेण प्रोफेशनल एथिक्स के विपरीत होने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया तथा स्पष्टीकरण क्रमांक 5148 जशपुर दिनांक 30.04.2026 के तहत ब्लड बैग के संबंध में श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. ब्लड सेंटर के द्वारा प्रभारी अधिकारी श्रीमती ममता सिंह को समय रहते कोई भी सूचना नहीं दिया गया है, ब्लड बैग का अवलोकन/निरीक्षण कर डिस्कार्ड प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया तथा प्रतिक्रियाशील ब्लड बैग की जानकारी होने के पश्चात् भी निर्धारित समय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ब्लड बैग को अलग नहीं किया गया जो कि दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता किये जाने के कारण श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। डॉ0 ममता सिंह, पैथोलॉजिस्ट के प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.12.2024 के अनुसार श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. जिला चिकित्सालय जशपुर द्वारा डॉ0 ममता सिंह, पैथोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय जशपुर के साथ अशोभनीय एवं अभद्रतापूर्वक आचरण किया जाता है, जिससे व्यथित होकर डॉ ममता सिंह द्वारा ब्लड सेन्टर, जिला चिकित्सालय जशपुर में कार्य करने में असमर्थता तक व्यक्त की जा चुकी है। उपरोक्त कृत्यॉ के लिए श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. ब्लड सेंटर जिला चिकित्सालय जशपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. के द्वारा दिनांक 29.05.2026 को उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया, जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया है।

श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. ब्लड सेंटर जिला चिकित्सालय जशपुर के कृत्य शासकीय सेवकों के लिए निर्धारित आचरणों के अनुरूप नहीं पाया गया है। श्री कुंवर के उक्त कृत्यों के परिणामस्वरूप मरीजों के जीवन को प्रत्यक्ष तौर पर क्षति पहुंचने की संभावना थी, जो मानव जीवन के साथ स्पष्ट खिलवाड़ को प्रदर्शित करता है, जो मरीजों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक एवं आर्थिक क्षति में भी डालता सकता था। श्री कुंवर के द्वारा अपने कार्य को जिम्मेदारी व निष्ठाभाव के साथ न करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों पर लगातार दोषारोपण कर अपने जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की जा रही है, जिससे कार्यालयीन कार्यव्यवस्था प्रभावित होने के साथ–साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संबंधित के कार्यशैली के कारण मरीजों, आम जनता एवं अन्य चिकित्सालयों में जिला चिकित्सालय जशपुर एवं जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार संबंधित का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही, कदाचरण, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत होने के कारण श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. ब्लड सेंटर जिला चिकित्सालय जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसाबहार, जिला–जशपुर (छ0ग0) निर्धारित किया जाता है। श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
जशपुर (छत्तीसगढ़)

पृ0क्रमांक/ESTB-1027/3874/2026-COLL JSP ESTT SEC जशपुर, दिनांक /06/2026

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जशपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला जशपुर को सूचनार्थ। आप श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. ब्लड सेंटर जिला चिकित्सालय जशपुर के विरूद्ध आरोप पत्र, आरोप पत्र विवरण, दस्तावेजों की सूची एवं गवाहों की सूची तैयार कर 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
4. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसाबहार की ओर सूचनार्थ।
5. श्री पुरूषोत्तम कुंवर, प्रभारी एम.एल.टी. ब्लड सेंटर जिला चिकित्सालय जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सही/–
कलेक्टर
जशपुर (छत्तीसगढ़)

Digitally signed by
ROHIT VYAS
Date: 10-06-2026
16:35:58